बेटी बचाओ
Save the girl Child

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

(15)

क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ /2010/ 360   दिनांक : 8/9/10

परिपत्र क्रमांक –6 / 2010

निदेशालय के यह ध्यान में लाया गया है कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अन्तर्गत अपीलों की सुनवाई के दौरान, राज्य समुचित प्राधिकारी के समक्ष, विभाग की ओर से पक्ष प्रस्तुतकर्ता, प्राधिकारी, दस्तावेजों का पूर्ण अवलोकन करके, तैयारी के साथ प्रस्तुत नहीं होते हैं, फलस्वरूप अपीलों की सुनवाई के दौरान विभागीय प्रत्यर्थी समुचित प्राधिकारी के द्वारा पक्ष समुचित रूप से प्रस्तुत करने में रूकावट उत्पन्न होती है तथा यह भी ध्यान में लाया गया है कि पक्ष प्रस्तुतकर्ता, प्राधिकारी के साथ, जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी के नहीं आने के कारण, पक्ष प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी को, वास्तविक स्थिति एवं संबंधित रिकार्ड के बारे में पूर्ण जानकारी का अभाव रहता है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत, किसी भी स्तर पर अपीलों की सुनवाई के दौरान, विभागीय पक्ष प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी द्वारा, विभाग का पक्ष, प्रकरण के तथ्यों के आधार पर, पूर्ण तैयारी के साथ प्रस्तुत किया जावे।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत, अपीलों की सुनवाई के दौरान, संबंधित समुचित प्राधिकारी के समक्ष, विभाग का पक्ष, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा सक्षम रूप से प्रस्तुत करने के लिये निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

1. जिला समुचित प्राधिकारी अथवा राज्य समुचित प्राधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करते समय, संबंधित पक्ष प्रस्तुतकर्ता अधिकारी पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन करके पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित होकर, पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
2. अपीलों की सुनवाई के दौरान पक्ष प्रस्तुतकर्ता संबंधित प्राधिकारी के साथ, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक को भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहने के लिये, निर्देश प्रदान किये जावें।
3. **राज्य समुचित प्राधिकारी के समक्ष, पक्ष प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी, विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने के लिये, उपनिदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट तथा विधि विशेषज्ञ पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट के संपर्क में रहकर, समुचित सहायता प्राप्त करते हुये, विभागीय पक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।**

--

परिपत्र 6/2010

4. उपनिदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट तथा विधि विशेषज्ञ पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राज्य समुचित प्राधिकारी के समक्ष, अपीलों की सुनवाई के दौरान, विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने के लिये, संबंधित पक्ष प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को समुचित सहायता प्रदान करते हुये, विभाग का पक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी के समक्ष, सक्षमता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों की सख्ती से पालना की जावें।

(डॉ0 एम.एल.जैन)
राज्य नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
निदेशक (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।
4. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एंव जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
6. उपनिदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
7. विधि विशेषज्ञ/स्वास्थ्य प्रबंधक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
9. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
10. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।

(डॉ0 एम.एल.जैन)
राज्य नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
निदेशक (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर